



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

03 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-04.06.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा लूट जैसे अपराध में लिप्त 03 अभियुक्तों 1.मनीष कुमार पुत्र रामविलास 2.बलराम राठौर पुत्र छेदालाल 3.सुरेन्द्र कुमार राठौर पुत्र स्व0 राम गोपाल राठौर निवासीगण रामपुर भूड़ा थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना इमलिया सुल्तानपुर पर मु0अ0सं0 224/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 224/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर

अभियुक्तों का नाम/पता-

1. मनीष कुमार पुत्र रामविलास निवासी रामपुर भूड़ा थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर
2. बलराम राठौर पुत्र छेदालाल निवासी रामपुर भूड़ा थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर
3. सुरेन्द्र कुमार राठौर पुत्र स्व0 राम गोपाल राठौर निवासी रामपुर भूड़ा थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 394/21 धारा 380/454 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 051/22 धारा 392/411 भादवि थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर
3. मु0अ0सं0 052/22 दारा 307 भादवि थाना इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर